

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर  
 समक्ष— एम०के० सिंह  
 सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक २२७८-एक/१५ विरुद्ध आदेश दिनांक  
 २९.६.१५ पारित छारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक  
 ३४३/ अ-१९(४)स्व० निगरानी/२००४-०५.

उदय सिंह तनय भवानी सिंह  
 निवासी ग्राम कैडी तहसील व  
 जिला छतरपुर म० प्र०

— आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन

— अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक, श्री एस० के० वाजपेयी  
 अनावेदक के अभिभाषक श्री बी० एन० त्यागी

:: आ दे श ::

( आज दिनांक २५-७-२०१६ को पारित )

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक  
 ३४३/अ-१९ (४) स्व० निगरानी /२००४-०५ में पारित आदेश  
 दिनांक २९.६.१५ के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्य संहिता १९५९ की  
 धारा ५० के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

(M)

2- प्रकरण का संक्षिप्त सारांश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार छतरपुर के समक्ष शासकीय भूमि पर 2.10.84 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापित करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुये दिनांक 12.3.2003 को आवेदक के हित में भूमि सर्वे कमांक 2066, 2067 एवं 2068 जिसके पुराने सर्वे कमांक 1525 एवं 1526 थे में से 2 हैं भूमि का व्यवस्थापन करने के आदेश दिया था, इस आदेश को अपर कलेक्टर ने स्वभेद पुनरीक्षण में निरस्त किया है।

3- आवेदक का तर्क है कि अपर कलेक्टर जिला छतरपुर ने स्वभेद निगरानी की कार्यवाही उचित समय के अन्दर प्रारंभ नहीं की है एवं अभिलेख के विपरीत तथा मात्र संभावनाओं के आधार विवादित आदेश पारित किया हैं अपने तर्क में उन्होंने कहा है कि तहसीलदार ने आवेदक के हित में दिनांक 12.3.2003 ओदश पारित किया था जिसे स्वभेद निगरानी में लेने की कार्यवाही दिनांक 21.4.05 को दो वर्ष पश्चात प्रारंभ की गयी एवं तहसीलदार के आदेश के दिनांक से 12 वर्ष पश्चात विवादित आदेश पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांतों का अवलोकन करते हुये तर्क दिया गया कि स्वभेद पुनरीक्षण की कार्यवाही उचित समय सीमा में प्रारंभ की जा सकती है। विलंब से आदेश पारित करने के बिन्दु पर उनका कहना है कि आदेश होने के बाद आवेदक भूमिस्वामी के रूप में निरंतर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। उसने अपने श्रम तथा पर्याप्त धन का निवेश कर भूमि को उन्नत किया है। अतः उसे

पुनः भूमिहीन बनाया जाना व्यायोचित नहीं होगा, आवेदक की ओर से माननीय सर्वोच्च व्यायालय का व्याय दृष्टांत 1998 (1) म० प्र० वीकली नोट्स 26 एवं 2010 (4) म०प्र० लॉ जनरल का अवलोकन कराया गया जिसमें माननीय सर्वोच्च व्यायालय ने एक वर्ष के विलंब को भी उचित समय नहीं ठहराया है इसी प्रकार माननीय उच्च व्यायालय की पूर्णपीठ ने अभिधारित किया है कि समय पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ करने की समय सीमा 6 माह से अधिक विलंब के पश्चात की जाना व्यायोचित नहीं है। अपर कलेक्टर के आदेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक ने दिनांक 12.12.02 को भूमि सर्वे क्रमांक 2066, 2067, 2068 में से 0.63 कुल रकवा 2.20 है 0 क्षेत्रफल पर पुराना कब्जा बताते हुये भूमि के व्यवस्थापन की प्रार्थना की थी। आवेदन का मूल आवेदन पत्र तहसील के अभिलेख में पृष्ठ क्रमांक 1 पर उपलब्ध है। आवेदक अधिवक्ता ने तहसील के अभिलेख पर पृष्ठ क्रमांक 33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष अपना कथन दिया था उक्त कथन में भी आवेदक ने सर्वे क्रमांक 2066, 2067, एवं 2068 के 2.20 है 0 भाग पर अपना कब्जा बताया था। अपर कलेक्टर ने आवेदक के मूल आवेदन एवं उसके कथन का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है। उनका कहना है कि अपर कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने का जो एक कारण यह दर्शाया है कि आवेदक ने सर्वे क्रमांक 2068 में से कुछ भाग पर अपना कब्जा बताते हुये आवेदन दिया था एवं तहसीलदार ने आवेदन पत्र से पृथक जाकर 2066, 2067 एवं 2068 में से भूमि व्यवस्थापन करने में त्रुटि की है। आवेदक का कहना है कि पटवारी प्रतिवेदन के साथ जो प्रारूप लगा है वह

पटवारी ने बनाकर दिया था एवं उस पर आवेदक का अगूंठा लगवाया था, इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्रारूप को कोई महत्व नहीं है। तहसीलदार ने आवेदक के मूल आवेदन पत्र दिनांक 12.12.02 को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की थी।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे कहा है कि अपर कलेक्टर ने तहसीलदार द्वारा जारी किये गये इश्तहार के संबंध में टिप्पणी की है कि उक्त इश्तहार पर प्रोसेस पंजी का कमांक अंकित नहीं है तथा उन्होंने आवेदक का आधिपत्य दिनांक 2.10.84 के पूर्व न होना मानकर आदेश पारित किया है इन बिन्दुओं पर आवेदक अधिवक्ता ने अभिलेख के आधार तर्क दिया कि तहसीलदार ने सार्वजनिक इश्तहार जारी किया था एवं उस पर प्रोसेस पंजी का कमांक 373/3 अंकित है इश्तार का प्रकाशन तहसील के सूचना पटल के साथ ग्राम पंचायत के माध्यम से भी कराया था इश्तहार पर ग्राम पंचायत कैडी के सरपंच तथा अन्य 6 साक्षियों के भी हस्ताक्षर है इसलिये इश्तहार का प्रकाशन विधिवत किया गया माना जाना चाहिये था। जहां तक आधिपत्य का संबंध है राजस्व अभिलेखों में अंकित करने का दायित्व कृषक पर नहीं है और उनका कहना है कि यदि किसी कब्जा धारी के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं की गयी हो तब उससे यह नहीं माना जा सकता कि कब्जा नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने अपने तर्कों के अंत में बताया कि आवेदक का कब्जा था यह अभिलेख से प्रमाणित है। पटवारी ने यदि आवेदक के पिता के नाम की प्रविष्टि कर दी थी तब उससे यही अनुमान लगाया जाना चाहिये था कि भूमि पर आवेदक का आधिपत्य था।

//5// प्र०क० निग० 2278-एक/15

4- शासन के पैनल अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा गया कि अपर कलेक्टर ने विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया है।

तहसीलदार की कार्यवाही नियमानुसार नहीं थी इसलिये आवेदन की निगरानी आवेदन निरस्त की जाये।

5- आवेदक अधिवक्ता एवं शासन के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक का प्रथम तर्क यह है कि तहसीलदार के 2 वर्ष के बाद कलेक्टर ने स्वभेद निगरानी की प्रक्रिया प्रारंभ की एवं 12 वर्ष के बाद आदेश पारित किया आवेदक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस न्याय दृष्टांत 1998 (1) मो प्र० वीकली नोट्स 26 को अपने तर्क का आधार बनाया है जिसमें 1 वर्ष के पश्चात प्रारंभ की गयी स्वभेद निगरानी की कार्यवाही को उचित समय में न होना अभिधारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के न्याय दृष्टांत जिसमें 180 दिन को स्वयं पुनरीक्षण की कार्यवाही हेतु उचित सीमा माना गया है इस प्रकरण में लागू होते हैं इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण है कि भले ही कलेक्टर ने तहसील आदेश के 2 साल बाद प्रकरण दर्ज किया हो परंतु 12 वर्ष तक स्वयं पुनरीक्षण प्रकरण को लंबित रखना एवं उसके बाद तहसील आदेश को निरस्त करना स्वयं ही ऐसी कार्यवाही एवं आदेश को व्यर्थ एवं अवैध बना देता है। स्वयं निगरानी की कार्यवाही प्रारंभ करने के बाद प्रीग्रावित होने वाले पक्षकार को सुनकर यथाशीघ्र प्रकरण का निराकरण करना चाहिये।

तहसील न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया आवेदक के इस तर्क में पर्याप्त बल है कि आवेदक ने भूमि सर्वे क्रमांक 2066,

(J.M)

//6// प्र०क० २२७८-एक/15

2067 एवं 2068 के एक भाग पर अपना कब्जा कहते हुये व्यवस्थापन की प्रार्थना की थी एवं अपने कथन में भी उसने आवेदित भूमि पर ही आधिपत्य होना बताया था आवेदक ग्रामीण व्यक्ति है, कलेक्टर ने पटवारी द्वारा तैयार प्रपत्र को आधार बनाकर यह निष्कर्ष निकालकर त्रुटि की है कि आवेदक ने सद्रे कमांक 2066, 2067 एवं 2068 का व्यवस्थापन कर दिया था इसी प्रकार जहां तक उद्घोषणा का संबंध है कलेक्टर के आदेश की टिप्पणी अभिलेख पर आधारित नहीं है उद्घोषणा पर कमांक लिखा है और उद्घोषणा होना सरपंच के हस्ताक्षर होने से प्रमाणित होता है।

मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 का मूल उद्देश्य ऐसे भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना है जिनके जीवन-यापन का एक मात्र आधार वह भूमि है जिस पर उसका कब्जा हे महत्वपूर्ण बिन्दु यह हे कि ऐसे व्यक्ति के पास भूमि नहीं होना चाहिये इस प्रकरण के अभिलेख से प्रमाणित है कि आवेदक के स्वत्व में भूमि नहीं हे वह भूमिहीन की परिभाषा में आती है इसलिये तहसीलदार द्वारा की गयी कार्यवाही की तकनीकी खामियां अधिनियम के मूल उद्देश्य को प्रभावित नहीं करती हैं जहां तक कलेक्टर के आदेश ने आवेदक की मांग को किये गये व्यवस्थापन का प्रश्न है आवेदक का स्वयं का परिवार है तथा वह न केवल एक भूमिहीन परिवार का सदस्य था वरन् स्वयं भी भूमिहीन था। अतः उसे किये गये व्यवस्थापन का कोई विपरीत प्रभाव आवेदक पर नहीं पड़ता है। आवेदक का व्यवस्थापित की गयी भूमि पर आधिपत्य था यह साक्ष्य से सिद्ध किया गया था।

//7// प्र०क० निग० 2278-एक/15

6- उपरोक्त विवेचना एवं दर्शित परिस्थितियों पर विचार करते हुये  
अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक  
343/अ-19(4)/2004-05 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक  
29.6.2015 निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप ऊपर दिये  
गये निष्कर्षों के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है।

  
(एम० के० सिंह)

सदस्य  
राजस्व मण्डल म०प्र०  
ग्वालियर